



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4004]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 13, 2019/ अग्रहायण 22, 1941

No. 4004]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 13, 2019/AGRAHAYANA 22, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 2019

का.आ. 4455(अ).—केंद्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 2016 (2016 का 28) की धारा 187 की उपधारा (1) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह विनिर्दिष्ट करती है कि ऐसे व्यक्ति, जिन्होंने धारा 183 की उपधारा (1) के अधीन घोषणा की है, परंतु केंद्रीय सरकार की अधिसूचना सं. 1830(अ) तारीख 19 मई, 2016, (जो तत्पश्चात् अधिसूचना सं. का.आ. 2476(अ) तारीख 30 जुलाई, 2016 द्वारा संशोधित की गई थी) द्वारा यथा अधिसूचित देय तारीख को या उससे पूर्व, अप्रति आय के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 184 के अधीन संदेय कर और अधिभार और धारा 185 के अधीन संदेय शास्ति का संदाय नहीं किया है तो वे 31 जनवरी, 2020 को या उससे पहले इस प्रकार उक्त अधिसूचित तारीख के ठीक पश्चात् आने वाली तारीख को प्रारंभ होने वाली तथा ऐसे संदाय की तारीख को समाप्त होने वाली अवधि में सम्मिलित प्रत्येक मास या उस मास के भाग के लिए एक प्रतिशत की दर से ऐसी राशि पर व्याज सहित संदाय कर सकेगा।

2. यह अधिसूचना 1 जून, 2016 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[अधिसूचना सं.103/2019/फा.सं. 370149/159/2019-टीपीएल]

अंकुर गोयल, अवर सचिव

स्पष्टीकारक ज्ञापन : यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव दिए जाने से किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।